न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. प्रभूदास पटेल पुत्र श्री शंकरलाल पटेल, जाति- पटेल, (विक्रेता एवं प्रोपराईटर)

फर्मः- मैसर्स गुजरात मेडिसिन्स, स्टेशन रोड, भाटकडा, सिरोही, जिला- सिरोही
निवासी- पावर हॉउस के पीछे, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही, जिला- सिरोही

2. राकेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- मैसर्स अग्रवाल मेडिकोज हॉल, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरोही
निवासी- हीरागर वाडी, महावीर नगर, शिवगंज, जिला- सिरोही

3. नितेश बाफना (एफ.बी.ओ. एवं प्रोपराईटर)

फर्मः- भंसाली फार्मा, 106, प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर

4. राजेश भाई पुत्र रामजी भाई पटेल (प्रोपराईटर)

फर्मः- Bela Medical Agencies Pvt. Ltd. 20-21, Relief Shoping Centre, Nr. GPO, Salapose Road, Ahmedabad

5. सलील पुत्र श्री नरेन्द्र मोदी (प्रोपराईटर)

फर्मः- NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD

प्रकरण संख्याः 29/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अभियुक्त संख्या- 3 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, अभियुक्त संख्या- 4 व 5 की ओर से
3. अभियुक्त संख्या 4 एवं 5 स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 18 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 से 3 के विरुद्ध यह परिवाद/आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 20.9.2016 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म गुजरात मेडिसिन्स, बस स्टेण्ड रोड, भाटकडा, सिरोही पर पँहुचा। जहां पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से प्रभुदास पटेल पुत्र श्री शंकरलाल पटेल, जाति- पटेल, निवासी- पावर हॉउस के पीछे, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को उपयोग हेतु Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के

......पेज दो पर

प्रति जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाहान के समक्ष भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। दुकान की आलमारी में विक्रय हेतु मौजूद Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) के 200-200 ग्राम के 6 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) में से 200-200 ग्राम के 4 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 840/- नकद अदा कर खरीद रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-684, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीद शुदा Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) के पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं प्रत्येक चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-684 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.9.2016 को उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विशलेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है तथा नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा दिनांक 21.9.2016 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्या 7194-7196 दिनांक 18.11.2016 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1177/एक्ट/2016/1220 दिनांक 24.10.2016 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Nutritional Food Supplement Protein Powder

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

(Proprietary Food) (Prohite-D Brand) का नमूना S-684 अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। मेरे द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रभुदास पटेल को भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने पर पुनः जांच हेतु फार्म नं. 8 में 30 दिन में आवेदन करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रभुदास पटेल का पुनः जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। प्रकरण की अनुसंधान के दौरान भंसाली फार्मा, 106 प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर द्वारा जांच में सहयोग नही किया एवं सप्लाई बिल व मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये। इसलिये Nutritional Food Supplement Protein. Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) को भंसाली फार्मा का उत्पाद मानते हुए प्रकरण तैयार कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त संख्या-1 से 3 ने अमानक स्तर के Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) का विक्रय, सप्लाई व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 24.10.2017, 27.11.2017, 18.12.2017 व 09.2.2018 को प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-1 प्रभूदास उपस्थित हुये व प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 24.10.2017 व 16.4.2018 को प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-2 राकेश कुमार उपस्थित हुये, उसके बाद प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 व 2 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्त संख्या- 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित हुये एवं अभियुक्त संख्या- 3 की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(2) व 80(2(di)) के तहत बचाव में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसने प्रकरण से संबंधित खाद्य पदार्थ Prohite-D Brand को सिल्ड हालात में खरीदा, रखा एवं सिल्ड पैक्ड हालात में विक्रय किया है, इसलिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत अभियुक्त नितेश बाफना, मैसर्स भंसाली फार्मा, उदयपुर के विरुद्ध कोई आरोप नही बनता है, इसलिये आरोप मुक्त किया जावे। प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 3 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त संख्या- 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 3 की ओर से प्रस्तुत बिलो के अनुसार यह तथ्य साबित होने पर कि निर्माता फर्म NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD ने वेट इनवोइस बिल नम्बर 052 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के 100 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) का विक्रय Bela Medical, 20-21, Relief Complex, Nr. GPO, Relief Road,

.....पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Ahmdabad को किया गया। उक्त Bela Medical Agencices Pvt.ltd. 20-21, Relief Complex, Nr. GPO, Relief Road, Ahmdabad द्वारा वेट इनवोइस बिल नम्बर SR-004424 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में भंसाली फार्मा, 106, प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर को विक्रय किया गया। उक्त भंसाली फार्मा, 106, प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में वेट इनवोईस बिल नम्बर 05787 दिनांक 15.8.2016 के द्वारा मैसर्स अग्रवाल मेडिकल हॉल, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरोही को विक्रय किया गया तथा उक्त मैसर्स अग्रवाल मेडिकल हॉल, शिवगंज द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में गुजरात मेडिसिन, गुजरात हॉस्पिटल, सिरोही को वेट इनवोईस बिल नम्बर CR/3915 दिनांक 03.9.2016 के द्वारा विक्रय किया गया। उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) के 200-200 ग्राम के 4 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) को आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच कराने हेतु गुजरात मेडिसिन्स, भाटकडा रोड, सिरोही से बिल नम्बर CA/09046 दिनांक 20.9.2016 के द्वारा कीमत राशि रुपये 840/- (अक्षरे रुपये आठ सौ चालीस मात्र) अदा कर खरीदे किये तथा खरीदे के पश्चात् विधिवत कार्यवाही कर उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विधिवत भेजा। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) की प्रस्तुत विश्लेषण अनुसार उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) का नमूना अमानक स्तर पर पाया गया।

इस प्रकार, प्रकरण में उक्त Bela Medical Agencies Pvt. Ltd. 20-21, Relief Shoping Centre, Nr. GPO, Salapose Road, Ahmedabad एवं NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD को अमानक स्तर के Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के निर्माण व विक्रय करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत Bela Medical Agencies Pvt. Ltd. 20-21, Relief Shoping Centre, Nr. GPO, Salapose Road, Ahmedabad एवं NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD को पक्षकार बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.7.2018 को अभियुक्त संख्या 4 व 5 इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं अभियुक्त संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि

.....पेज पांच पर

18.7.2018 को अभियुक्त संख्या 4 व 5 ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लोक अदालत की भावना से प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया।

(3) प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 3 के अधिवक्ता व अभियुक्त संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्त संख्या- 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अभियुक्त संख्या- 3 ने उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के सिल्ड पैक्ड कंटेनर जरिये बिल क्रय किये थे एवं सिल्ड पैकड अवस्था में ही जरिये बिल विक्रय किये गये है। उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के अमानक स्तर के निर्माण व विक्रय हेतु निर्माता फर्म ही जिम्मेदार है, इसलिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 व 80 के तहत अभियुक्त संख्या-3 को दोष मुक्त किया जावे। बहस के दौरान अभियुक्त संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अभियुक्त संख्या- 4 व 5 ने उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के अमानक स्तर के निर्माण/विक्रय करने के अपराध को लोक अदालत की भावना से स्वेच्छा से स्वीकार किया है, यह अभियुक्तगण का पहला अपराध है, इसलिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत अभियुक्त संख्या- 4 को दोषमुक्त करते हुए निर्माता फर्म पर कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 20.9.2016 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स गुजरात मेडिसिन्स, बस स्टेण्ड रोड, भाटकडा, सिरोही पर गये। उक्त फर्म मैसर्स गुजरात मेडिसिन्स, बस स्टेण्ड रोड, भाटकडा, सिरोही में विक्रेता व मालिक की हैसियत से प्रभुदास पटेल पुत्र श्री शंकरलाल पटेल, जाति- पटेल, निवासी- पॉवर हाउस के पीछे, डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, सिरोही उपस्थित मिले। जो Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) का आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री कुलदीप पुत्र भूराराम रेबारी, निवासी- सिन्दरथ के समक्ष विकेता प्रभुदास पटेल को

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के 6 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) में से Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के 4 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 840/- (अक्षरे रुपये आठ सौ चालीस मात्र) विक्रेता को नकद अदा कर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता प्रभुदास पटेल, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-684, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता प्रभुदास पटेल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना भागों पर एक-एक लेवल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-684 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता प्रभुदास पटेल व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता प्रभुदास, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपडी से

.....पेज सात पर

न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही

सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.9.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 21.9.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) का नमूना संख्या S-684 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1177/Act/2016/1220 दिनांक 24.10.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स गुजरात मेडिसिन्स, बस स्टेण्ड रोड, भाटकडा, सिरोही में विक्रेता प्रभुदास से वास्ते जांच कय किया गया Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि निर्माता फर्म NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD ने वेट इनवोइस बिल नम्बर 052 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के 100 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) का विक्रय Bela Medical, 20-21, Relief Complex, Nr. GPO, Relief Road, Ahmdabad को किया गया। उक्त Bela Medical Agencices Pvt.ltd. 20-21, Relief Complex, Nr. GPO, Relief Road, Ahmdabad द्वारा वेट इनवोइस बिल नम्बर SR-004424 दिनांक 29.7.2016 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में भंसाली फार्मा, 106, प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर को विक्रय किया गया। भंसाली फार्मा, 106, प्रथम तल, बापू बाजार, उदयपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में वेट इनवोईस बिल नम्बर 05787 दिनांक 15.8.2016 के द्वारा मैसर्स अग्रवाल मेडिकल हॉल, मेन मार्केट, शिवगंज, जिला- सिरोही को विक्रय किया गया तथा उक्त मैसर्स अग्रवाल मेडिकल हॉल, शिवगंज द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में गुजरात मेडिसिन, गुजरात हॉस्पिटल, सिरोही को वेट इनवोईस बिल नम्बर CR/3915 दिनांक 03.9.2016 के द्वारा विक्रय किया गया। उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के 200-200 ग्राम के 4 पैक्ड कंटेनर (प्लास्टिक) को आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गुजरात मेडिसिन्स, भाटकडा रोड, सिरोही से बिल नम्बर

.....पेज आठ पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

CA/09046 दिनांक 20.9.2016 के द्वारा कीमत राशि रुपये 840/- (अक्षरे रुपये आठ सौ चालीस मात्र) अदा कर खरीदे किये तथा खरीदे के पश्चात् विधिवत कार्यवाही कर उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विधिवत भेजा। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 के अनुसार Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया है। ऐसी स्थिति में, उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) के अमानक स्तर के निर्माण एवं विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 के अनुसार निर्माता फर्म NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त संख्या- 1 से 4 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत उक्त Nutritional Food Supplement Protein Powder (Proprietary Food) (Prohite-D Brand) (Batch No.33 Mfg. 07-2016) की निर्माता फर्म NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, सलील पुत्र नरेन्द्र मोदी, प्रोपराईटर, NSONS ENTERPRISE, 6, Umang, Gitanjali Society, Gordhan Hill, Kankaria, Maninagar, AHMEDABAD को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार आरोपित जुर्माना राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

18.07.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही